राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)

क्र.:- एफ 51(2)ग्रावि/शिकायत/संवाद/10-11 जयपुर, दिनांक : 2/3/10

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

2 MAR 2010

विषयः- महात्मा गांधी नरेगा संवाद में योजना के क्रियान्वयन में पाई गई कमियों के संबंध में।

महोदय,

उक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 26.02.2010 को माननीय मंत्री, ग्रा. वि. एवं पं. राज विभाग की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय नरेगा संवाद में निम्नलिखित बिन्दुओं पर जिलों द्वारा अभी तक कार्यवाही किया जाना शेष पाया गया है :-

1. प्रत्येक कार्यस्थल पर कार्यस्थल पुस्तिका के संधारण का अभाव।
2. कार्यों का माप 5-5 के समूह में ही किये जाने का अभाव।
3. प्रत्येक 6 माह में एक बार दर अनुसूची (बी.एस.आर.) के रिवीजन का अभाव। बी.एस.आर. एवं दर विश्लेषण (Rate Analysis) अंग्रेजी के बजाय हिन्दी भाषा में जारी करने का अभाव।
4. ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में रोजगार आवेदन प्रपत्र संख्या 6 की उपलब्धि एवं जमा करवाने की व्यवस्था का अभाव।
5. कार्यवार सामग्री मद में सामग्रीवार व्यय की गई राशि का पत्र दिनांक 20.04.2009 अनुसार ग्राम पंचायत मुख्यालय पर वाल पेन्टिंग का अभाव।
6. श्रम मद में समस्त श्रमिकों के कार्य दिवसों एवं भुगतान की गई मजदूरी का पूर्ण अंकन का अभाव (अभी भी अनेक ग्राम पंचायतों द्वारा केवल 100 दिवस पूर्ण करने वाले श्रमिकों के संबंध में ही वाल पेन्टिंग की गई है)।
7. ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यवार परिसम्पत्ति रजिस्टर (रजिस्टर संख्या-12) में संचयी व्यय के लेखन का अभाव।
8. ग्राम पंचायत स्तर पर निर्धारित प्रपत्र में नरेगा स्टाक रजिस्टर के संधारण का अभाव।

9. ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित नरेगा रोकड़ बही का प्रत्येक पखवाडे में एक बार पंचायत समिति के लेखा सहायक/ लेखाकार द्वारा निरीक्षण का अभाव।
10. कतिपय ग्राम पंचायत कार्यालयों का अब भी नियमित रूप से खुलने की व्यवस्था नहीं होना।
11. जॉब कार्ड में श्रमिकों को की गई भुगतान राशि एवं भुगतान जमा की दिनांक के अंकन का अभाव।
12. माप पुस्तिका में अंग्रेजी की अपेक्षा हिन्दी भाषा में इन्द्राज करने का अभाव।
13. हर 6 माह में प्रभावी सामाजिक अंकेक्षण का अभाव।
14. नरेगा की रोकड बही एवं स्टाक रजिस्टर को ग्राम सेवक द्वारा पंचायत कार्यालय में रखने की अपेक्षा स्वयं की अभिरक्षा में रखने की अनुचित प्रवृत्ति पर प्रभावी कार्यवाही का अभाव।
15. राजपत्रित अवकाश, शनिवार एवं रविवार को नरेगा कार्यों के भौतिक निरीक्षण की व्यवस्था का अभाव।
16. नव-निर्वाचित सरपंचों को धारा 25(1) पंचायती राज अधिनियम-1994 अनुसार विधिवत कार्यभार दिलवाने की कार्यवाही का अभाव (कार्यभार नहीं सौंपने वाले के विरूद्ध धारा 88(2) पंचायती राज अधिनियम 1994 अन्तर्गत कार्यवाही की जावे)।

अतः आप उक्त संबंध में शीघ्र समीक्षा कर योजना के क्रियान्वयन में सुधार लाना सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही से दिनांक 22.03.10 तक विभाग को भी सूचित करावें।

भवदीय

(सी.एस. राजन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अति. आयुक्त (प्रथम/ द्वितीय), ईजीएस जयपुर।
2. निजी सचिव, मा. मंत्री, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा. वि. एवं राज विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, नरेगा समस्त जिले (राजस्थान) को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

2/3/10

परियोजना निदेशक, ईजीएस